

**लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश**

क्र./श.क./सी/संवि./105/2010/930

भोपाल, दिनांक 31/7/10

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यापक संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


| क्र. | अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण | | | कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक | | संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड |
|------|---|----------------------|---------------------------|---|---|------------------------------------|
| | नाम पद एवं कार्यरत संस्था | यूनिक आइ.डी. क्रमांक | संस्था / जिले का डाईस कोड | कार्यरत निकाय | संविलियन निकाय | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | श्रीमती वर्षा कपूर सहायक अध्यापक शा.मराठी क.प्रा.वि. सौंसर जिला छिंदवाड़ा | AH4949 | 234306001 03 | नगरपालिका परिषद सौंसर जिला छिंदवाड़ा जा.क्र.214 दि. 25.6.10 | जनपद पंचायत मुरार जिला ग्वालियर जा.क्र.2410 दि. 02.7.10 शा.बा.प्रा.शा. बेरजा | 230404666 07 |
| 2 | श्रीमती सुरेखा सोलंकी सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. डंगोराफूट आदिवासी कॉलोनी जिला अशोकनगर | AC1667 | 234602183 03 | जनपद पंचायत अशोकनगर जिला अशोकनगर जा.क्र.क्यू. दि. 21.5.10 | जनपद पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र.1849 दि. 08.6.10 शा.प्रा.वि. भोकाखेड़ी | 232605138 02 |
| 3 | श्रीमती मनीषा गाडगील सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. बेलोण्ड जिला बैतूल | AF2235 | 233507025 01 | जनपद पंचायत घोडाडोंगरी जिला बैतूल जा.क्र.2197 दि. 15.6.10 | जनपद पंचायत सौंसर जिला छिंदवाड़ा जा.क्र.279 दि. 17.6.10 शा.प्रा.वि. गुजरखेड़ी | 234310098 02 |
| 4 | श्रीमती शबाना अंजुम सहायक अध्यापक शा.बा.प्रा.शा. शहपुरा जिला डिण्डौरी | AJ8810 | 234116222 02 | जनपद पंचायत शहापुरा जिला डिण्डौरी जा.क्र. 63 दि. 02.6.09 | नगर निगम जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र.82 दि. 13.7.10 शा.उर्दू प्रा.शा. करियापाथर | 233902252 01 |
| 5 | श्रीमती रेखा सिंह अध्यापक (विज्ञान) शा.मा.शा. करहैयाकला जिला रायसेन | AT8746 | 233407074 01 | जिला पंचायत रायसेन जिला रायसेन जा.क्र.4218 दि. 01.7.10 | जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्र.229 दि. 23.6.10 शा.पूर्व मा.शा. बैजनाथ | 231401236 03 |
| 6 | श्रीमती पायल अवरथी अध्यापक (सा.विज्ञान) शा.मा.शा. भलाईखुर्द जिला देवास | BH4858 | 232303093 04 | जिला पंचायत देवास जिला देवास जा.क्र.3636 दि. 24.6.10 | नगर पंचायत सिलवानी जिला रायसेन जा.क्र.1394 दि. 05.7.10 शा.क.मा.शा. सिलवानी | 233406237 23 |

ms


| | | | | | | |
|----|---|--------|-----------------|--|--|-----------------|
| 7 | श्रीमती प्रीति सिकरवार अध्यापक (विज्ञान) शा.हाईस्कूल सेवड़ा जिला शिवपुरी | BB6660 | 230601666 02 | जिला पंचायत शिवपुरी जिला शिवपुरी जा.क्र.8631 दि. 23.9.09 | नगर निगम ग्वालियर जिला ग्वालियर जा.क्र.948 दि. 03.7.10 शा.हाईस्कूल सर्राफा | 230405666 02 |
| 8 | श्रीमती सुनीता परिहार सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. चौथखेड़ा जिला नीमच | AS7298 | 231807035 01 | जनपद पंचायत नीमच जिला नीमच जा.क्र.1987 दि. 13.7.10 | जनपद पंचायत मंदसौर जिला मंदसौर जा.क्र.1882 दि. 16.7.10 शा.प्रा.शा. जग्गा | 231906218 01 |
| 9 | श्रीमती अंजना शर्मा सहायक अध्यापक शा.उन्नत प्रा.वि. इंदिरा सपेरा कॉलोनी जौरासी जिला ग्वालियर | AL2991 | 230401060 04 | जनपद पंचायत डबरा जिला ग्वालियर जा.क्र.1472 दि. 12.7.10 | नगरपालिका परिषद मुरैना जिला मुरैना जा.क्र.1909 दि. 15.7.10 शा.मा.शा. रूई की मण्डी | 230203181 43 |
| 10 | श्रीमती शीला कैथवास अध्यापक शा.मा.वि. पिपल्याजौधा जिला मंदसौर | AQ5669 | 231904107 03 | जिला पंचायत मंदसौर जिला मंदसौर जा.क्र.1563 दि. 10.5.10 | जिला पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र.6715 दि. 13.7.10 शा.मा.शा. जगमाल पिपल्या | 232605029 02 |
| 11 | श्रीमती नाजमा अंसारी अध्यापक शा.मा.वि. काकरिया जिला शाजापुर | AZ9976 | 232205069 02 | जिला पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र.2320 दि. 23.6.10 | नगरपालिका परिषद सीहोर जिला सीहोर जा.क्र.2613 दि. 03.7.10 शा.विवेकानंद हाईस्कूल मंडी सीहोर | 233305666 07 |

संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।




8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।
"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


31/7/10
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 31/7/10

पृष्ठा. क्र./श.क./सी/संवि./105/2010/931
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


31/7/10
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश



**लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश**

क्रं./शि.क./संवि./ए/96/2010/932

भोपाल, दिनांक 31/7/10

:: आदेश ::


म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यक्षीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

| क्रं. | अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण | | | कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक | | संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड |
|-------|---|----------------------|---------------------------|--|--|------------------------------------|
| | नाम पद एवं कार्यरत संस्था | यूनिक आइ.डी. क्रमांक | संस्था / जिले का डाईस कोड | कार्यरत निकाय | संविलियन निकाय | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | श्रीमती ममता राठौर सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. बरलाई जागीर जिला इंदौर | BS4550 | 232604125 01 | जनपद पंचायत सांवेर जिला इंदौर जा.क्र.729दि 02.7.10 | नगरपालिक निगम देवास जिला देवास जा.क्र.5472दि 12.7.10 शा.प्रा.वि. रसूलपुर | 232301342 03 |
| 2 | श्रीमती वंदना कन्दोई अध्यापक शा.मा.शा. उगाह जिला शाजापुर | BA4450 | 232207123 03 | जिला पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र.2209दि 14.6.10 | नगरपालिका निगम इंदौर जिला इंदौर जा.क्र.330दि 16.6.10 शा.हाईस्कूल सिरपुर | 232601666 18 |
| 3 | श्रीमती मंजू परमार सहायक अध्यापक शा.मा.शा. नलखेड़ा जिला नीमच | AS6556 | 231805035 03 | जनपद पंचायत मनासा जिला नीमच जा.क्र.827दि 01.7.10 | जनपद पंचायत मल्हारगढ़ जिला मंदसौर जा.क्र.1687दि 28.6.10 शा.प्रा.शा. खात्याखेड़ी | 231904062 01 |
| 4 | श्रीमती सीमा जोशी सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. पिलवास जिला शाजापुर | BA2409 | 232202041 05 | जनपद पंचायत नलखेड़ा जिला शाजापुर जा.क्र.605दि 04.6.10 | जनपद पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र.2088दि 21.6.10 शा.मा.शा. जहांगीरपुरा | 233305070 01 |
| 5 | श्री सैयद माहताब अली (विकलांग) अध्यापक शा.पूर्व मा.शा. रामपुर जिला उमरिया | BE8297 | 231507126 07 | जिला पंचायत उमरिया जिला उमरिया जा.क्र.3115दि 01.7.10 | जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क्र.320-1दि 11.5.10 शा.हाईस्कूल पालदेव | 231303129 12 |
| 6 | श्री हरेन्द्र सिंह जादौन (विकलांग) सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. नानकपुर जिला अशोकनगर | AC2989 | 234605082 01 | जनपद पंचायत चंदेरी जिला अशोकनगर जा.क्र.2830दि 25.6.10 | जनपद पंचायत विजयपुर जिला श्योपुर जा.क्र.1140दि 02.7.10 शा.प्रा.वि. रावतपुरा | 230108025 01 |
| 7 | श्रीमती ज्योति पंवार सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. इमली डेरा जिला शाजापुर | | | जनपद पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र.17दि 07.5.10 | नगरपालिका परिषद सारंगपुर जिला राजगढ़ जा.क्र.413दि 30.4.10 शा.प्रा.शा. किडी शा.प्रा.शा. पंडितवाड़ी | 233004192 08 |

| | | | | | | |
|----|--|--------|-----------------|---|--|-----------------|
| 8 | श्रीमती शाहेना काजी सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. मुडलाय जिला शाजापुर | AZ8632 | 232204098 01 | जिला पंचायत मण्डला जिला मण्डला जा.क्र.308दि 02.7.10 | नगर पंचायत पाटन जिला जबलपुर जा.क्र.94दि 25.6.10 शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. पाटन | 233905777 01 |
| 9 | श्रीमती शिवानी मौर्य अध्यापक शा.मा.शा. कोठी जिला खण्डवा | AO2685 | 232909101 02 | जिला पंचायत खण्डवा जिला खण्डवा जा.क्र.4954दि 04.6.10 | नगरपालिका परिषद सनावद जिला खरगोन जा.क्र.1146दि 09.7.10 शा.क.उ.मा.वि. सनावद शा.बा.उ.मा.वि. सनावद | 232713777 04 |
| 10 | श्रीमती सुमन मालवीय सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. भकलाय जिला खरगोन | AP3130 | 232714138 02 | जनपद पंचायत महेश्वर जिला खरगोन जा.क्र.2128दि 31.8.09 | जनपद पंचायत देवास जिला देवास जा.क्र.4060दि 11.6.10 शा.प्रा.शा. रूपाखेड़ी | 232301062 01 |
| 11 | श्रीमती रचना कौशल सक्सेना अध्यापक शा.मा.शा. मालीसिलपटी जिला बैतूल | AE6429 | 233510027 02 | जिला पंचायत बैतूल जिला बैतूल जा.क्र.6593दि 06.10.08 | जिला पंचायत रायसेन जिला रायसेन जा.क्र.4304दि 05.7.10 शा.मा.शा. चिकलौदकलां | 233404056 02 |
| 12 | श्रीमती विनीता सिंगारे सहायक अध्यापक शा.मा.शा. रामपुरा जिला होंशगाबाद | AL9802 | 233706046 01 | जनपद पंचायत पिपरिया जिला होंशगाबाद जा.क्र.533दि 26.3.10 | जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज जिला रायसेन जा.क्र.1462दि 04.7.10 शा.प्रा.शा. सिवनी | 233406235 01 |
| 13 | श्रीमती शान्ती शर्मा सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. दगड़घाटी जिला बड़वानी | AD8168 | 232807052 01 | जनपद पंचायत पानसेमल जिला बड़वानी जा.क्र.8716दि 17.5.10 | जनपद पंचायत गोहद जिला भिण्ड जा.क्र.1513दि 05.6.10 शा.प्रा.वि. देहगांव | 230307072 01 |
| 14 | श्री संतोष कुमार त्रिपाठी (विकलांग) सहायक अध्यापक शा.हाईस्कूल पवर्तपुरा जिला धार | BM8463 | 232512888 02 | जनपद पंचायत तिरला जिला धार जा.क्र.3153दि 17.6.10 | जनपद पंचायत पिछोर जिला शिवपुरी जा.क्र.323दि 15.6.10 शा.उ.मा.वि. करारखेड़ा | 230609777 06 |


संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।



7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियामों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


31.7.10
उप संचालक


लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 31/7/10

पृष्ठा.क्रं./शि.क./ए/संवि./96/2010/933

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


31.7.10
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश



लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रं./शि.क./संवि./बी/83/2010/936

भोपाल, दिनांक 31/11/10


:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यक्षीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

| क्रं. | अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण | | | कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक | | संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड |
|-------|--|----------------------|---------------------------|--|---|------------------------------------|
| | नाम पद एवं कार्यरत संस्था | यूनिक आइ.डी. क्रमांक | संस्था / जिले का डाईस कोड | कार्यरत निकाय | संविलियन निकाय | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | श्रीमती माया मिश्रा अध्यापक शा.मा.शा. सुल्तानपुरा जिला सीहोर | AB1206 | 233305243 02 | जिला पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र.4002दि 05.7.10 | जिला पंचायत रायसेन जिला रायसेन जा.क्र.4300दि 05.7.10 शा.हाईस्कूल ईटखेड़ी | 233401666 01 |
| 2 | कु. मीरा सिंह सहायक अध्यापक शा.क.मा.शा. पुरैनी जिला पन्ना | AT2586 | 231005056 01 | जनपद पंचायत शाहनगर जिला पन्ना जा.क्र.339दि 11.5.10 | नगरपालिका निगम कटनी जिला कटनी जा.क्र.1289दि 24.6.10 शा.प्रा.शा. अंबेडकर शा.मा.शा. खिरहनी | 233802090 02 |
| 3 | श्रीमती अर्चना रघुवंशी सहायक अध्यापक शा.मा.शा. ब्यावराकलॉ जिला राजगढ़ | AV1143 | 233005044 02 | जनपद पंचायत खिलचीपुर जिला राजगढ़ जा.क्र.222दि 30.6.10 | जनपद पंचायत अशोकनगर जिला अशोकनगर जा.क्र. क्यू.दि 02.6.10 शा.मा.शा. भादोन | 234602137 02 |
| 4 | श्रीमती आरती चौकसे सहायक अध्यापक शा.क.प्रा.शा. बनखेड़ी जिला होंशगाबाद | AM2682 | 233701001 03 | जनपद पंचायत बनखेड़ी जिला होंशगाबाद जा.क्र.क्यू.दि 21.6.10 | जनपद पंचायत बाबई चीचली जिला नरसिंहपुर जा.क्र.157दि 23.6.10 शा.प्रा.शा. मोहपा | 234002003 01 |


संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।



5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत हैं तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।


"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


उप संचालक 31/7/10

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 31/7/10

पृष्ठा.क्र./शि.क./बी/संवि./83/2010/937
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक 31/7/10
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रं./शि.क./सी/सवि./108/2010/938

भोपाल, दिनांक 31/7/10

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यापक संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

| क्रं. | अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण | | | कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक | | संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड |
|-------|---|----------------------|---------------------------|---|---|------------------------------------|
| | नाम पद एवं कार्यरत संस्था | यूनिक आइ.डी. क्रमांक | संस्था / जिले का डाईस कोड | कार्यरत निकाय | संविलियन निकाय | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | श्रीमती इन्द्रनिया सिंह सहायक अध्यापक शा.मा.शा. झोखो जिला सिंगरौली | BB9097 | 235001003 01 | जनपद पंचायत धितरंगी जिला -सिंगरौली जा.क्र.1022दि 23.4.10 | जनपद पंचायत सीधी जिला -सीधी जा.क्र.2136दि निरंक शा.प्रा.शा. कुर्वाह | 231706072 01 |
| 2 | श्रीमती अर्पणा मिश्रा अध्यापक (विज्ञान) शा.पूर्व मा.शा. पटेहरा जिला सीधी | BC1607 | 231705078 04 | जिला पंचायत सीधी जिला -सीधी जा.क्र.5432दि 14.6.10 | जिला पंचायत रीवा जिला -रीवा जा.क्र.1367दि 16.7.10 शा.पूर्व मा.शा. उमरी | 231404165 08 |
| 3 | श्रीमती ज्योति राय अध्यापक (सा.विज्ञान) शा.हाईस्कूल बरेला जिला सिवनी | AZ2230 | 234407888 01 | जिला पंचायत सिवनी जिला -सिवनी जा.क्र.1344दि 01.6.10 | जिला पंचायत जबलपुर जिला -जबलपुर जा.क्र.3498दि 16.7.10 शा.हाईस्कूल धुन्सौर | 233901666 14 |
| 4 | श्रीमती अंजली श्रीवास्तव सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. झण्ड तमरहान जिला सतना | AW1583 | 231306083 02 | जनपद पंचायत रामपुर बाघेलान जिला -सतना जा.क्र.597दि. 02.6.10 | नगर पंचायत सिरमौर जिला -रीवा जा.क्र.1396दि 13.7.10 शा.प्रा.शा. संस्कृत रानी तालाब | 231705151 05 |
| 5 | श्रीमती मंजु परिहार अध्यापक (गणित) शा.मा.वि. रसलपुर जिला शाजापुर | BA4442 | 232207017 02 | जिला पंचायत शाजापुर जिला -शाजापुर जा.क्र.2322दि.23.6.10 | जिला पंचायत सीहोर जिला -सीहोर जा.क्र.946-ए दिनांक 22.6.10 शा.मा.वि. मुगीसपुर | 233305123 02 |


संविलियन की शर्त :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।



3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैद्यता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियामों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।


"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


31.7.10
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 31/7/10

पृष्ठा. क्रं./शि.क./सी/संवि./108/2010/939
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


31.7.10
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.क./ए/70/2010/940


भोपाल, दिनांक 31/7/10

// संशोधित आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/शि.क./ए/संवि/70/2010/600-601 दिनांक 15.06.2010 द्वारा श्रीमती शैलजा त्रिपाठी, वरिष्ठ अध्यापक (राजनीति) शास.उ. मा.वि.कंधवार जिला सीधी का जिला पंचायत सीधी एवं जिला पंचायत रीवा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर शा.उ.मा.वि. भोलगढ़ के लिये संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी ।


प्राचार्य शा. उ.मा.वि. भोलगढ़ के पत्र दिनांक 08.07.10 के द्वारा अवगत कराया है कि शा. उ.मा.वि.भोलगढ़ में पद रिक्त नहीं है । जिला पंचायत रीवा द्वारा पत्र क्रमांक 241, दिनांक 14.07.2010 द्वारा शा. उ.मा.वि. भोलगढ़ के स्थान पर शा. उ.मा.वि.शिवपुरवा के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है ।

अतः जिला पंचायत रीवा द्वारा जारी अनापत्ति के आधार पर संचालनालय द्वारा जारी उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये शा. उ.मा.वि. भोलगढ़ के स्थान पर शा. उ. मा.वि.शिवपुरवा जिला रीवा के लिए संविलियन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है । आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी ।


31.7.10
उप संचालक
लोक शिक्षण मध्य प्रदेश
भोपाल, दिनांक 31/7/10

पृष्ठा. क्रमांक/शि.क./ए/70/2010/941.
प्रतिलिपि:-

- 1- कलेक्टर, जिला सीधी/रीवा मध्यप्रदेश।
- 2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सीधी/रीवा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी सीधी/रीवा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4 संबंधित- श्रीमती शैलजा त्रिपाठी, वरिष्ठ अध्यापक (राजनीति) शास.उ.मा.वि.कंधवार जिला सीधी की ओर सूचनार्थ ।


31.7.10
उप संचालक
लोक शिक्षण मध्य प्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रं./शि.क./संवि./बी/94/2010/942

भोपाल, दिनांक 31/7/10


:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यापक संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

| क्रं. | अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण | | | कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक | | संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड |
|-------|--|----------------------|---------------------------|--|---|------------------------------------|
| | नाम पद एवं कार्यरत संस्था | यूनिक आइ.डी. क्रमांक | संस्था / जिले का डाईस कोड | कार्यरत निकाय | संविलियन निकाय | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | श्री राजेन्द्र पचौरी (विकलांग) अध्यापक शा.मा.वि. पिपरौद जिला अशोकनगर | AC2550 | 234605038 02 | जिला पंचायत अशोकनगर जिला अशोकनगर जा.क्र.4383दि 24.7.10 | जिला पंचायत मुरैना जिला मुरैना जा.क्र.6345दि 26.6.10 शा.मा.वि. जौरी | 230203167 02 |
| 2 | श्रीमती रश्मि मिश्रा अध्यापक (विज्ञान) शा.मा.वि. सलैया जिला रीवा | AW4954 | 231407065 04 | जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्र.215दि 10.6.10 | नगर निगम जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र.90दि 28.7.10 शा.मा.वि. हाथीताल | 233902241 02 |
| 3 | श्रीमती बबीता ठाकुर अध्यापक (विज्ञान) शा.मा.वि. साजड़ी जिला रायसेन | AT7838 | GMS SAJDI | जिला पंचायत रायसेन जिला रायसेन जा.क्र.4618दि 22.7.10 | जिला पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र.4124दि 23.7.10 शा.बा.उ.मा.वि. नसरुल्लागंज | 233304777 01 |

संविलियन की शर्तें :-

- यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
- तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
- संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
- वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी शर्तों का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।



8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने, अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियामों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जाबक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”



31.7.10
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 31/7/10

पृष्ठा.क्र./शि.क./बी/संवि./94/2010/ 943
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।



31.7.10
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

**लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश**

क्रं./शि.क./संवि./बी/94/2010/944

भोपाल, दिनांक 31/7/10


:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यक्षीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


| क्रं. | अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण | | | कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक | | संविलियन संस्था/ जिले का डाईस कोड |
|-------------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|--|---|---|
| | नाम पद एवं कार्यरत संस्था | यूनिक आइ.डी. क्रमांक | संस्था/ जिले का डाईस कोड | कार्यरत निकाय | संविलियन निकाय | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 पार र पा रि क 2 | श्रीमती ममता पते सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. सन्नौद जिला देवास | BH3139 | 232306075 01 | जनपद पंचायत खातेगांव जिला देवास जा.क्र.1027दि 09.7.10 | जनपद पंचायत नसरुल्लागंज जिला सीहोर जा.क्र.1617दि 16.7.10 शा.प्रा.वि. ठीकरीखेड़ा | 233304186 01 |
| | श्री अशोक कुमार गंगराड़े सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. ठीकरीखेड़ा जिला सीहोर | AA5555 | 233304186 01 | जनपद पंचायत नसरुल्लागंज जिला सीहोर जा.क्र.1617दि 16.7.10 | जनपद पंचायत खातेगांव जिला देवास जा.क्र.1027दि 09.7.10 शा.प्रा.वि. सन्नौद | 232306075 01 |

संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।



9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियामों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।
"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


31.7.10


उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 31/7/10

पृष्ठा.क्र./शि.क./बी/संवि./94/2010/945
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


31.7.10

उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश